

यातायात पुलिस की रकूली वाहन संचालकों से अपील है कि आप यातायात के सम्पन्न स्थानों का पालन करें। अपने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक रूप से नियंत्रित करें, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिनेंस, परमिट आदि जरूरी दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ में रखें। रकूली वाहनों में अतिगमन से बचें एवं मौकिल किट बॉक्स आवश्यक रूप से वाहन में रखें। निर्धारित गति सीमा से तेज गति से तथा खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं। वाहनों में क्षमता से अधिक कच्चे न बिटावें, तथा शराब पीकर वाहन न चलाएं।